राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–23 / 2023

मणिशंकर उर्फ भोलू बनाम् राकेश नन्दन प्रसाद।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–27.06.2023, दिनांक–03.08.2023, दिनांक–14.09.2023, दिनांक–17.10.2023, दिनांक–30.11.2023, दिनांक–02.04.2024, दिनांक–09.05.2024, दिनांक–02.07.2024, दिनांक–17.10.2024, दिनांक–26.11.2024, दिनांक–27.08.2025 तथा दिनांक–23.09.2025 को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुमुद कुमार राय द्वारा पक्ष रखा गया तथा प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चन्दन कुमार वर्मा द्वारा पक्ष रखा गया। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर की ओर से मो0 मंजूर आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुँगेर, श्री राजीव रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुँगेर, श्री आदित्य कुमार झा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मुँगेर तथा श्री राजीव रौशन, अनुमण्डल पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुँगेर को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी नगर निगम मुँगेर के वार्ड संख्या–30 के वार्ड पार्षद है। इनके द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन–2022 में अपने नामांकन–पत्र में संलग्न शपथ–पत्र संख्या–13511 / 2022, दिनांक–21.09.2022 में अपने ऊपर चल रहे, न्यायिक वादों को नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार इनके द्वारा तथ्य को छुपाया गया है एवं इस बाबत मिथ्या शपथ–पत्र दायर किया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मुँगेर के न्यायालय में वाद संख्या–117C/2022, प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक–07.02.2022 को दर्ज है, जिसमें I.P.C. की धारा–406, 420, 504, 506 तथा N.I. Act की धारा–138 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया एवं सम्मन जारी किया गया। सम्मन पर उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक–12.11.2022 को जमानतीय वारंट जारी किया गया, जिसके उपरांत प्रतिवादी फरार है।

इसके अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मुँगेर के न्यायालय में वाद संख्या–1041C/2021, भी प्रतिवादी के विरूद्ध दर्ज है, जिसमें I.P.C. की धारा–323, 406, 420, 504, तथा N.I. Act की धारा–138 है एवं SC-ST. Act की धारा–3(1)(s) के अन्तर्गत दिनांक–10.05.2022 को संज्ञान लिया गया एवं दिनांक–17.06.2022 को सम्मन जारी किया गया। सम्मन पर उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक–22.12.2022 को जमानतीय वारंट जारी किया गया, जिसके उपरांत प्रतिवादी फरार है।

अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा उक्त वादों के सत्यापित छायाप्रति को साक्ष्य स्वरूप वाद–पत्र में संलग्न किया गया है, परन्तु उक्त साक्ष्यों में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मुँगेर द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध संज्ञान ले लिया गया है, परन्तु उन्हें भगोड़ा घोषित किये जाने का आदेश अंकित नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि जिस समय प्रतिवादी द्वारा नामांकन–पत्र दायर किया गया था, उस समय उन्हें उक्त वादों की कोई जानकारी नहीं थी। उनके विरूद्ध दायर वादों के सम्मन का तामिला उन्हें कभी नहीं कराया गया, जिसके कारण वह माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकें। आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उक्त न्यायालयों द्वारा कोई संज्ञान उक्त वादों में नहीं लिया गया। यदि लिया गया है, तो संज्ञान आदेश वादी को लाना चाहिए। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया है कि सम्मन निर्गत करने का तात्पर्य यह नहीं होता कि न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध संज्ञान ले लिया गया है, बल्कि यह बुलावा मात्र होता है। यदि सम्मन का तामिला होता और उनके मुवक्किल उपस्थित नहीं होते, तो उनका दोष समझा जाता। आगे उनके द्वारा यह भी बताया गया कि न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है, इस संबंध में भी पुलिस द्वारा उन्हें सूचना नहीं दी गई है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल को सक्षम न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है। अतः वादी का दावा सही नहीं है। यदि उनके दावें में सत्यता है, तो उन्हें Cognizance Order/Absconder Order साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर द्वारा पत्रांक–1462/नि0, दिनांक–19.09.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जिला अभियोजन पदाधिकारी, मुँगेर द्वारा उक्त विचाराधीन वादों के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

''**नालसी वाद संख्या–1041C/2021, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुँगेर से स्थानान्तरण Spl Judge SC/ST Cum ADJ I के न्यायालय में 15.12.21 को हो गया,** धारा–323, 406, 420, 504, 138, N.I. Act एवं 3(i)(s) SC/ST Act इस वाद में B/W, Warrant 22.12.22 को किया गया एवं N.B.W. 22.08.23 को किया गया, जिसमें तामिला अप्राप्त है। इस वाद में अभियुक्त राकेश नन्दन प्रसाद को भगोड़ा (Absconder)घोषित नहीं किया गया है।

नालसी वाद संख्या–117C/2022, न्यायिक दंडाधिकारी, मुँगेर से स्थानान्तरण श्रीमती वर्तिका न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में 25.02.22 को हो गया, धारा–406, 420, 504, 138 N.I. Act इस वाद में B/W, Warrant 14.11.22 को किया गया जिसमें तामिला अप्राप्त है। इस वाद में अभियक्त राकेश नन्दन प्रसाद को भगोड़ा (Absconder) घोषित नहीं किया गया है।''

आयोग द्वारा वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों एवं तर्कों तथा प्रतिवादी के जवाब एवं तर्कों की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर द्वारा उपलब्ध कराये गये, तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ की गई, तो यह पाया गया कि वादी द्वारा उल्लेखित दोनों वादों में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, मुँगेर के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध संज्ञान तो लिया गया है, परन्तु उक्त न्यायालय द्वारा उन्हें भगोड़ा (Absconder) घोषित नहीं किया गया है। अतएव स्पष्ट है कि वादी का दावा कि सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध उनके द्वारा वर्णित मामलों में संज्ञान लिया गया है एवं उन्हें भगोड़ा (Absconder) घोषित किया गया है, अंशतः सही पाया गया है तथा अंशतः गलत पाया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445(1)(ii) के तहत अभ्यर्थियों को नामांकन–पत्र में ऐसे मामलों को अंकित करना अनिवार्य है, जिसमें लंबित प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, अथवा उनके विरूद्ध आरोप तैयार कर दिया गया हो, परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, अपने नामांकन–पत्र में लंबित वादों की सूचना अंकित नहीं की गई है।

(क) अतएव जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी श्री राकेश नन्दन प्रसाद, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–30, नगर निगम मुँगेर जिला–मुँगेर के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 धारा–447(iii) तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–23/2023 203

पटना, दिनांक 15.1.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मुँगेर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मुँगेर** को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मुँगेर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्रवाई से आयोग को दो सप्ताह के अन्दर अवगत कराने हेतु कार्रवाही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाए।

15/01/26
विशेष कार्य पदाधिकारी